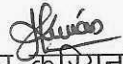


कार्यालय आदेश

जी.एन.एम. पाठ्यक्रम की परीक्षाओं के संबंध में पाठ्यक्रम के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि "No institution shall submit student average internal marks more than 75% i.e., if 40 students are admitted in a course then the average score of the 40 students shall not exceed 75%. This will not be accepted by the State Nursing Registration Council." इसके बावजूद भी कुछ नर्सिंग संस्थान उक्त दिशा-निर्देश की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के एजेण्डा संख्या 11 में गवर्निंग बोर्ड के सम्मुख निर्णयार्थ रखे जाने पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से ऐसे संस्थानों पर न्यूनतम एक लाख रुपये प्रति परीक्षा पैन्लटी लगाये जाने तथा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना किये जाने बाबत निर्णय लिया गया है। अतः सभी ऐसे संस्थानों को उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से किये जाने हेतु एतद्वारा आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश जीबी बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 से प्रभावी होंगे।


(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:—प.06(20)आरएनसी/जीबी बैठक/2026/ 459

दिनांक : 19.01.2026

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. लेखा/शैक्षणिक अनुभाग, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. समस्त राजकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
4. समस्त राजकीय/निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर